



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19022021-225285
CG-DL-E-19022021-225285

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60]
No. 60]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 19, 2021/माघ 30, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 19, 2021/MAGHA 30, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2021

मामला सं.-एडी-एसएसआर 24/2020

विषय : चीन जन.गण.के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सीमलैस ट्यूब्स, पाइप्स और आयरन, अलॉय अथवा नॉन-अलाय स्टील के होलो प्रोफाइल्स" के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत के संबंध में।

फा. सं. 7/43/2020-डीजीटीआर.—1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली या ए डी नियम भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से मै. आई एस एम टी लिमिटेड और मै. जिंदल सॉ लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें चीन जन.गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "अधिकतम 355.6 मि.मी. या 14"ओडी"बाहरी डायमीटर वाले सीमलैस ट्यूब्स, पाइप्स और आयरन, अलॉय या नॉन-अलॉय स्टील (कास्ट आयरन और स्टेनलैस स्टील के अलावा) चाहे वे हॉट फिनिशड या कोल्ड आयरन या कोल्ड रोलड" हो (जिन्हें यहां "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के विस्तार और वृद्धि हेतु निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत के लिए का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि पाटनरोधी शुल्क को लागू करने के बाद भी संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन जारी हैं। आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि शुल्क को लागू करने के बावजूद आयातों की मात्रा में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और पाटन और परिणामी क्षति के कारण घरेलू उद्योग के निष्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है आवेदकों ने आगे दावा किया है कि यदि वर्तमान शुल्क को समाप्त करने की अनुमति दी जाती है तो संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन के जारी रहने और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।
3. अधिनियम की धारा 9क (5) की शर्तों में, लागू पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि पहले समाप्त न कर दिया जाए, ऐसे लागू किए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा और प्राधिकारी द्वारा यह समीक्षा करना जरूरी है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना है। इसके अनुसरण में, प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग या उसकी ओर से किए गए विधिवत अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा किया जाना जरूरी है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है।
4. आवेदक ने याचिका में संगत सूचना उपलब्ध कराई है। याचिका की सूचना के पर्याप्तता और पाटन के साक्ष्य तथा जांच की शुरुआत को न्यायसंगत सिद्ध करने के लिए परिणामी क्षति की जांच की गई है। चूंकि, याचिका विधिवत प्रलेखित है और पाटन के तथा परिणामी क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य अंतर्निहित हैं साथ ही यदि विद्यमान शुल्क को समाप्त करने की अनुमति दी जाती है, तो पाटन और क्षति की संभावना के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य शामिल हैं, प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पहले से लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं।

पिछली पाटनरोधी शुल्क जांच की पृष्ठभूमि

5. प्राधिकारी द्वारा दिनांक 8 जुलाई, 2015 को संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत की गई थी। प्राधिकारी ने दिनांक 31 मार्च, 2016 के प्रारंभिक जांच परिणामों के अनुसार अंतिम पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की थी और वित्त मंत्रालय ने दिनांक 17 मई, 2016 की अधिसूचना सं. 18/2016-सीमाशुल्क (एडीडी) के अनुसार अंतिम शुल्क लागू किया था। तत्पश्चात, प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम सं. 14/2/2015-डीजीएडी दिनांक 9 दिसंबर, 2016 के अनुसार, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्कों को लागू करने की सिफारिश की थी जिसे दिनांक 17 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं. 7/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) के अनुसार क्रियान्वित किया गया था। उक्त शुल्क 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू किए गए थे और ये 16 मई, 2021 को समाप्त होंगे।

विचाराधीन उत्पाद

6. मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र निम्नानुसार था :

“अधिकतम 355.6 मि.मी. या 14”ओडी”के बाहरी डॉयमीटर वाले सीमलैस ट्यूब्स, पाइप्स और आयरन, अलॉय या नान-अलॉय स्टील (कास्ट आयरन और स्टेनलेस स्टील के अलावा) चाहे वे हॉट फिनिशड हों या कोल्ड ड्राउन या कोल्ड रोलड”।

विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से निम्नलिखित को बाहर रखा गया है।

- I. कास्ट आयरन और स्टेनलेस स्टील के बने सीमलैस पाइप्स और ट्यूब्स
- II. ए एस टी एम ए 213/एसएमई एसए 213 और एसटीएम ए 335/एसएमई एसए 335 या समकक्ष बीआईएस/ डीआईएन / बीएस / ईएन या किसी अन्य समकक्ष विशेषताओं वाली विशिष्ट सीमलैस अलॉय-स्टील पाइप्स, ट्यूब्स और होलो प्रोफाइल्स।
- III. नॉन- एपीआई और प्रीमियम जॉयंट/ प्रीमियम कनेक्शन/ प्रीमियम थ्रेडिड ट्यूब्स और पाइप्स जैसाकि सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 12/2012 दिनांक 17 मार्च, 2012 की क्रम सं. 356 के तहत निर्धारित किया गया है।
- iv. सभी 13 क्रोमियम (13 सीआर) ग्रेड ट्यूब्स और पाइप्स।

v. ड्रिल कॉलर्स।

vi. मुख्य विस्फोटक, पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन/ नियंत्रक, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित उत्पादकों द्वारा गैस सिलेंडरों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त हाई प्रेशर सीमलेस स्टील पाइप/ट्यूब”।

7. चूंकि वर्तमान आवेदन निर्णायक समीक्षा के लिए है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही बना रहेगा जैसाकि पिछले जांच परिणाम में निर्धारित किया गया है।
8. उत्पाद को अध्याय 73 में शीर्ष 7304 के तहत वर्गीकृत किया गया है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान आवेदन के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है और पुनरीक्षा जांच का प्रस्ताव करता है।

उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन)

9. आवेदकों ने विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न प्रकारों और प्रयोगों के आधार पर उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) प्रणाली को अपनाने का प्रस्ताव किया है। दिनांक 9 दिसंबर, 2016 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/2/2015-डीजीएडी में, प्राधिकारी ने कुछ विशिष्ट पी सी एन अपनाए थे चूंकि वर्तमान जांच वर्तमान पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा है, प्राधिकारी वर्तमान जांच में भी समान पीसीएन पद्धति को स्वीकार करने का प्रस्ताव करता है। प्रस्तावित पीसीएन के संबंध में कोई भी टिप्पणी इस जांच की शुरुआत की तारीख से 14 दिनों के भीतर दायर की जा सकती है।

समान वस्तु

10. आवेदकों ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद की पहले जांच की जा चुकी है और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। यह कहा गया है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देश से निर्यातित वस्तुओं में कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं है। आवेदकों ने दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और व्यापारिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को प्राधिकारी द्वारा संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के 'समान वस्तु' माना गया है।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

11. आवेदन मै. आईएस एम टी लिमिटेड और मै. जिंदल साँ लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, मै. आई एस एम टी लिमिटेड और मै. जिंदल साँ लिमिटेड का उत्पादन समान वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन में एक प्रमुख समानुपात के लिए उत्तरदायी है। आवेदकों ने दावा किया है कि उन्होंने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है न ही वे संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या उत्पादक अथवा भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंधित हैं। उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि आवेदन नियमावली के नियम 2(ख) 5(3) की शर्तों “घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से” के अनुसार किया गया है।

संबद्ध देश

12. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में शामिल देश चीन जन.गण. है।

जांच की अवधि

13. वर्तमान जांच में जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2019 से 30 सितंबर, 2020 (18 महीने) की है। जांच की अवधि को 12 महीने की सामान्य अवधि के बजाय 18 महीने के रूप में लिया गया है ताकि जांच की अवधि जांच की शुरुआत की तारीख से 6 महीने के भीतर हो। क्षति जांच अवधि में जांच की अवधि और पूर्ववर्ती तीन वर्ष 2016-17, 2017-18, और 2018-19 की अवधियां शामिल होंगी। प्राधिकारी याचिकाकर्ता तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के पीओआई पश्चात 6 महीनों के आंकड़ों की जांच भी करेंगे कि क्या वर्तमान एडीडी शुल्कों को समाप्त करने से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने संभावना है।

चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य

14. आवेदकों ने दावा किया है कि चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ-7 की शर्तों में निर्धारित किया जाना चाहिए। आवेदकों ने बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों तथा उचित लाभों के लिए परिवर्धन के पश्चात, भारत में उत्पादन का कल लागत पर विचार करते हुए भारत में वास्तव में अदायगी योग्य कीमत के आधार पर चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का दावा किया है और इस स्तर पर वही उचित समझा गया है।

चीन जन.गण. के लिए निर्यात कीमत

15. आवेदकों ने डी जी सी आई एंड एस से संग्रहित सूचना के आधार पर आयातों की मात्रा और मूल्य पर विचार करने के बाद संबद्ध आयातों की निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभारों, पत्तन व्ययों अंतरदेशीय भाड़ा और वैट रिफंड के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं।

पाटन मार्जिन

16. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है जो प्रथम दृष्टया यह दर्शाता है कि संबद्ध देशों से पीयूसी के संबंध में पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है। इस बात के प्रथमदृष्टया प्रमाण हैं कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध देशों से पीयूसी पाटित किया जा रहा है जो लगातार पाटन की संभावना की ओर संकेत करता है ताकि जांच की शुरुआत को न्यायसंगत ठहराया जा सके।

क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना

17. इस बात के प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि विचाराधीन उत्पाद पाटित कीमतों पर संबद्ध देश से निर्यात किया गया है, अतः उत्पाद के लगातार पाटन को दर्शाता है, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन सकारात्मक है, घरेलू उद्योगों ने लगातार क्षति का सामना किया है और पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति के और गहन होने की संभावना है।

निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत

18. आवेदकों के विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने पर तथा घरेलू उद्योग द्वारा पाटन और क्षति के जारी रहने/उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना को सिद्ध करते हुए प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर और नियमावली के नियम 23 (1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार प्राधिकारी एतत् द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं ताकि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर लागू शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा की जा सके और यह जांच की जा सके कि क्या ऐसे शुल्क के समाप्त होने से पाटन और घरेलू उद्योग की क्षति को जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

प्रक्रिया

19. इस समीक्षा में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को लागू करने की सिफारिश करने वाली दिनांक 9 दिसंबर, 2016 की अधिसूचना सं. 14/2/2015-डीजीएडी के माध्यम से प्रकाशित अंतिम जांच परिणाम के सभी पहलू शामिल होंगे। प्राधिकारी यथा अनिवार्य पाटन और क्षति का संभावित विश्लेषण भी करेंगे।
20. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

21. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पत्तों adg15-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, dd16-dgtr@gov.in तथा ac11-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए।

22. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
23. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

समय-सीमा

25. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के को ध्यान में रखते हुए वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना प्राधिकारी को पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर ईमेल पतों adg15-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, dd18-dgtr@gov.in तथा ac11-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना तथा अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को उस तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ माना जाएगा जब उसे निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजा गया था या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिया गया था। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
26. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

27. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी की गई व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।
28. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
29. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
30. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
31. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

32. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
33. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
34. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

35. नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं। सार्वजनिक फाइल को इलेक्ट्रॉनिक मोड में बनाए रखने की विधि पर काम किया जा रहा है।

असहयोग

36. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनंत स्वरूप, संयुक्त सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2021

Case No. AD-SSR 24/2020

Subject : Initiation of Sunset Review investigation concerning imports of Seamless Tubes, Pipes & Hollow Profiles of Iron, Alloy or Non-Alloy Steel originating in or exported from China PR-reg.

F. No. 7/43/2020-DGTR.—Having regards to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules or AD Rules), M/s ISMT Limited and Jindal Saw Limited (hereinafter referred to as the “applicants”) have filed an application before Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) for initiation of sunset review investigation for extension and enhancement of anti-dumping duty on imports of “Seamless tubes, pipes & hollow profiles of iron, alloy or non-alloy steel (other than cast iron and stainless steel), whether hot finished or cold drawn or cold rolled of an external diameter not exceeding 355.6 mm or 14” OD” (hereinafter referred to as the “subject goods” or “product under consideration”) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the “subject country”).

2. The applicants have alleged that dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country has continued even after the imposition of anti-dumping duty. The applicants have also claimed that there has been significant increase in the volume of imports despite imposition of the duty and the performance of the domestic industry has been adversely affected because of dumping and consequent injury. The applicants have further claimed that there is a likelihood of continuation of dumping of the subject goods originating and exported from the subject country and consequent injury to the domestic industry if the existing duty is allowed to expire.

3. In terms of Section 9A (5) of the Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

4. The applicants have provided relevant information in the petition. The petition has been examined for sufficiency of information and evidence of dumping and consequent injury to justify initiation of investigation. Since the petition is duly documented and contains sufficient prima facie evidence of dumping and consequent injury as well as sufficient prima facie evidence of likelihood of dumping and injury if the existing duty is allowed to expire, the Authority initiates the sunset review investigation of the anti-dumping duty already imposed on the imports of the subject goods originating and exported from the subject country.

Background of previous anti-dumping duty investigation

5. An anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject country was initiated on 8th July, 2015 by the Authority. The Authority recommended provisional anti-dumping duty vide preliminary findings dated 31st March, 2016 and the Ministry of Finance imposed provisional duty vide Notification No. 18/2016-Customs (ADD), dated 17th May, 2016. Thereafter, vide final findings No. 14/2/2015-DGAD dated 9th December 2016, the Authority recommended imposition of definitive anti-dumping duties on imports of the subject goods from the subject country, which were implemented vide Notification No. 7/2017-Customs (ADD) dated 17th February, 2017. The said duties were levied for a period of 5 years and are set to expire on 16th May, 2021.

Product under Consideration

6. The scope of product under consideration in the original investigation was as follows: -

“Seamless tubes, pipes & hollow profiles of iron, alloy or non alloy steel (other than cast iron and stainless steel), whether hot finished or cold drawn or cold rolled of an external diameter not exceeding 355.6 mm or 14” OD”

The following were excluded from the scope of product under consideration.

“i. Seamless Pipes & Tubes made of cast iron and stainless steel.

ii. Seamless alloy-steel pipes, tubes and hollow profiles of specifications of ASTM A213/ASME SA 213 and ASTM A335/ ASME SA 335 or equivalent BIS/DIN/BS/EN or any other equivalent specifications.

iii. Non - API and Premium Joints / Premium Connections / Premium Threaded Tubes & Pipes as prescribed under customs notification no. 12/12012 dated 17th March 2012 at serial number 356.

iv. All 13 Chromium (13CR) Grade Tubes and Pipes.

v. Drill Collars.

vi. High pressure seamless steel pipe/tube used for manufacturing gas cylinders by producers approved by the Chief Controller of Explosives, Petroleum and Explosives Safety Organisation, Government of India.”

7. Since the present application is for sunset review, the scope of the product under consideration remains the same as defined in the previous finding.

8. The product is classified under Chapter 73 in heading 7304. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the present application and the proposed review investigation.

Product control numbers (PCN)

9. The applicants have proposed adoption of a Product Control Number (PCN) system on the basis of different types and uses of the product under consideration. In the Final Findings Notification No. 14/2/2015-DGAD dated 9th December 2016, the Authority had adopted certain PCNs. Since the present investigation is the sunset review of the existing anti-dumping duty, the Authority proposes to

accept the same PCN methodology in the present investigation as well. Any comments with regard to the proposed PCN may be filed within 14 days from the date of initiation of this investigation.

Like Article

10. The applicants have claimed that the product under consideration has been investigated in the past and there are no known differences in the subject goods produced by domestic industry and that exported from the subject country. It has been stated that there is no significant difference in the subject goods produced by the applicants and those exported from the subject country. The applicants claim that the two are technically and commercially substitutable. For the purpose of the proposed investigation, the subject goods produced by the applicants are being treated by the Authority as 'like article' to the subject goods being originating in or exported from the subject country.

Domestic Industry & Standing

11. The application has been filed by M/s ISMT Limited and M/s Jindal Saw Limited. As per the evidence available on record, the production of M/s ISMT Limited and M/s Jindal Saw Limited accounts for a major proportion in the total domestic production of the like article. The applicants have claimed that they have neither imported the subject goods from the subject countries nor are they related to any exporter or producer of the subject goods in the subject countries or to an importer of the subject goods in India. On the basis of the information available, the Authority is satisfied that the application has been made 'by or on behalf of the domestic industry' in terms of Rule 2 (b) and Rule 5(3) of the Rules.

Subject Country

12. The subject country involved in the present sunset review investigation is China PR.

Period of Investigation

13. The period of investigation in the present investigation is the period from 1st April, 2019 to 30th, September, 2020 (18 months). The period of investigation is taken as 18 months instead of normal period of 12 months so that the POI is within 6 months from the date of initiation. The injury analysis period will cover the period of investigation and the preceding three years 2016-17, 2017-18 and 2018-19. The authority would also examine the post POI data of 6 months of the petitioner and other interested parties to examine whether the expiry of existing ADD duties are likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the Domestic Industry.

Normal Value for China PR

14. The Applicants have claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in terms of paragraph-7 of Annexure I of the Rules. The applicants have claimed normal value for China PR on the basis of the price actually payable in India by considering cost of production in India, after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits and the same has been considered appropriate at this stage.

Export Price for China PR

15. Export price of the subject imports has been determined by considering volume and value of imports based on DGCI&S data. Price adjustments have been made on account of Ocean freight, Marine insurance, Commission, Bank charges, Port expenses, Inland freight and VAT refund.

Dumping Margin

16. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie shows dumping margin is above the de-minimis level in respect of the PUC from the subject countries. There is sufficient prima facie evidence that the PUC from subject countries is being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries, thus indicating likelihood of continued dumping so as to justify initiation of investigation.

Likelihood of continuation or recurrence of Injury

17. There is prima facie evidence that the product under consideration has been exported from the subject country at dumped prices, thus showing continued dumping of the product; the dumping margin

and injury margin are positive and significant; the domestic industry has suffered continued injury and injury to the domestic industry is likely to intensify in the event of cessation of anti-dumping duty.

Initiation of Sunset Review Investigation

18. On the basis of the duly substantiated application of the applicants, and having satisfied itself on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, substantiating the likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 (1B) of the Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

Procedure

19. The review investigation will cover all aspects of the final findings published vide Notification No. No. 14/2/2015-DGAD dated 9th December, 2016 recommending imposition of anti-dumping duty on the imports of subject goods from subject country. The Authority will also undertake likelihood analysis of dumping and injury as required.

20. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

Submission of Information

21. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Authority via email at the email addresses adg15-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, dd18-dgtr@gov.in, and ac11-dgtr@gov.in.

22. The known producers/exporters in the subject country, its government through its embassy in India, the importers and users in India known to be connected with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set below.

23. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within in the time limit set out below.

24. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to other interested parties.

Time Limit

25. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, any information relating to the present investigation should be sent to the Authority via email at the email addresses adg15-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, dd16-dgtr@gov.in, and ac11-dgtr@gov.in within 30 days from the date of the receipt of the notice as per rule 6 (4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rules, the notice calling for information and other documents shall be deemed to be have been received within one week from the date on which it was sent by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its finding on the basis of the facts available on records in accordance with the Rules.

26. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant investigation and file their questionnaire response/submissions within the above time limit.

Submission of information on confidential basis

27. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.

28. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto) before the Authority, including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.

29. The “Confidential” or “Non-confidential” submissions must be clearly marked as “Confidential” or “Non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be a liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

30. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

31. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis.

However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

32. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

33. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

34. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

35. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

Non-cooperation

36. In case where an interested party refuses access to or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Jt. Secy. & Designated Authority